

2021/9

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

वाद/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
5/21	212 RTI	डीपला	द.व.डी
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
रामदयाल		बनाम	गोविन्दसिंह

वकील :- Ashok mehta. **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

2/21
अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 17/3/2021 को पेश हो।

17/21
पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी गण प की डोर से श्री उमा शंकर जोरवाणी एडवोकेट का बकायत नामा पेश हुआ। प्रतिवादी गण 1 ता 3 की डोर से श्री राजावत कृष्ण बलराम एडवोकेट द्वारा अड्डर रेफरिंग पेश की। पत्रावली वाले जवाब/बकायत नामा दिनांक 5/5/21 को पेश हो।

5/21
श्री राजावत कृष्ण बलराम
न्यायालय अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 8/6/21 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

8/21
श्री राजावत कृष्ण बलराम
आज पीएमपीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 12/7/21 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

12/21
पीएमपीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 17/8/21 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

17 ⁸/₂₁

पत्रावली कोविड 19 के कारण पूर्ववत स्थिति में आज पेश हुई। वकालत करीकेट उपस्थित। जवाब पेश नहीं हुआ। पत्रावली वास्ते जवाब / वकालत नामा दिनांक 27/9/21 को पेश हो।

[Signature]

16 ¹¹/₂₁

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

शिविर..... जं पत्नी..... पर पत्रावली पेश

हुई। परकारान उपस्थित/अनुपस्थित।

कार्यवाही नहीं हो सकी। पूर्ववत पत्रावली

न्यायालय में दिनांक 27/01/22

को पेश हो।

8 ²/₂₂

पत्रावली पेश हुई। वकालत करीकेट उपस्थित। प्रतिवादी गणों की ओर से जवाब पेश नहीं किया है। समय — वाश है वास्ते जवाब / वकालत नामा पत्रावली दिनांक 14/3/22 को पेश हो।

[Signature]

21 ³/₂₂

पत्रावली पेश हुई। वकालत करीकेट उपस्थित। प्रतिवादी गणों की ओर से जवाब पेश नहीं। समय — वाश है वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 25/22 को पेश हो।

[Signature]

27 ⁷/₂₂

अध्यापक अधिकारी के अन्य कार्य में स्थानान्तरण व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 28/6/22 को पेश हो।

[Signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

20 ⁶/₂₂

पत्रावली पेश हुई। नकील भाषी अनुपस्थित। नकील भाषी को रुक-रुक कर तीन बार आवाज लगावाई गई। कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण अटक डायरी अटक पैरवी रकमिठ किया जाता है। पत्रावली पेशाल सुमार होकर उपस्थित दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)